न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय) अलवर (राजस्थान)

(3)

अपील संख्या	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
11/34/2019	25–11–2019	17–03–2020

1– विपेन्द्र कुमार जैमन पुत्र सुरेन्द्र कुमार जाति ब्राह्मण निवासी ग्राम सकट तहसील राजगढ़ जिला अलवर राजस्थान।

–अपीलान्ट

बनाम

1– तहसीलदार राजगढ़, जिला अलवर राज0।

–रेस्पाडेन्ट

अपील विरूद्ध आदेश तहसीलदार राजगढ़ नामान्तरकरण संख्या 1759 वाके सकट तहसील राजगढ़ जिला अलवर दिनांक 10.07.2015

न्याo अतिo जिo कलैo एवं अतिo जिo मजिo प्रशासन (द्वितीय) अलवर राजस्थान सरकार

उपस्थितः–

01. श्री जगदीश शर्मा –वकील अपीलान्ट

—:: निर्णय ::—

अपीलान्ट ने यह अपील तहसीलदार राजगढ़ के आदेश दिनांक 10.07.2015 जिसके द्वारा नामान्तरकरण संख्या 1759 वाके ग्राम सकट तहसील राजगढ़ जिला अलवर बेजा तौर पर गलत नाम दर्ज कर स्वीकार किया गया है, से व्यथित होकर पेश की है। अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पौ0 को जरिये नोटिस तलब किया गया एवं तहत अदालत का रिकॉर्ड तलब किया गया। अधिवक्ता अपीलान्ट की बहस सुनी गई।

विद्वान वकील अपीलान्ट ने अपनी बहस में अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि अपीलांट के पिता सुरेन्द्र कुमार का स्वर्गवास हो चुका है। सुरेन्द्र कुमार हाल आराजी खसरा नम्बर 2237/0.18 है0 चाही प्रथम, 2240/0.09 है0 चाही प्रथम वाके ग्राम सकट तहसील राजगढ़ 1/2 हिस्सा के काबिज काश्तकार है। उनकी मृत्यु के पश्चात् अपीलांट व उसके भाईयों ने विरासत का इंतकाल दर्ज कराये जाने हेतु प्रा0पत्र पेश किया। हल्का पटवारी द्वारा इंतकाल सं0 1759 दर्ज कर अपीलांट का नाम विपेन्द्र कुमार जैमन पुत्र सुरेन्द्र कुमार के स्थान पर उपेन्द्र पुत्र सुरेन्द्र कुमार दर्ज कर दिया। गलत नाम दर्ज करने से अपीलांट को अपनी उक्त आराजी बाबत कार्य करने में अड़चन आती है। अपीलांट को सर्वप्रथम जानकारी दि0 03.10.2019 को हुई। बिना देरी के अपील पेश की गयी। अपील के साथ मियाद अधिनियम प्रा0पत्र दफा 5 भी पेश किया गया है। अपीलांट की अपील स्वीकार फरमायी जाकर इंतकाल सं0 1759 दि. 10.07.2015 वाके ग्राम सकट तहसील राजगढ़ जिला अलवर को रिमाण्ड किया जाकर अपीलांट का नाम उपेन्द्र के स्थान पर विपेन्द्र कुमार जैमन दर्ज करने के आदेश फरमावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं बहस पर मनन किया। हस्तगत प्रकरण में अवलोकन से पाया जाता है कि सरपंच द्वारा सजरा प्रमाणित रिपोर्ट में अपीलांट का नाम उपेन्द्र

अतिरिक्त जिला कलेक्टर (द्वितीय) अलवर (राज0)

दर्ज किया गया है। जबकि अपीलांट के पत्रावली में संलग्न दस्तावेजात् की फोटो प्रति में अपीलांट का नाम विपेन्द्र कुमार जैमन दर्ज है। अपील अपीलांट स्वीकार किये जाने योग्य है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर तहसीलदार राजगढ़ को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित की जाती है कि अपीलांट के दस्तावेजात् की जांच कर नियमों के आलोक में पुनः विधिसम्मत् निर्णय पारित करें।

निर्णय की प्रति तहसीलदार राजगढ़ को उनके रिकॉर्ड के साथ विधि द्वारा सुस्थापित प्रक्रियानुसार पालनार्थ भिजवायी जावें। इस न्यायालय की पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तामील तकमील लेख भण्डार हो।

निर्णय आज दिनांक 17–03–2020 को अद्योहस्ताक्षरकर्ता द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्या० अति० जि० कले० एवं अति० जि० मजि० राजस्थान सरकार प्रशासन (द्वितीय) अलवर

(उत्तम सिंह शेखावत)
अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय)
अलवर (राजस्थान)